अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18/564

1. बाबूलाल उम्र 48 वर्ष आत्मज स्व0 भंवर लाल जाति बलाई निवासी ग्राम जमीतपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. हंसराज आयु 42 वर्ष आत्मज स्व0 भंवर लाल जाति बलाई निवासी जमीतपुरा तहसील तालेडा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. रामनारायण आयु 50 वर्ष आत्मज स्व0 कंवरलाल जाति बलाई जाति बलाई निवासी जमीतपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. श्रीमती मोत्या बाई पुत्री फून्दीलाल पत्नी प्रभूलाल जाति बलाई निवासी ठीकरिया तहसील तालेडा ।
3. श्रीमती गुलाब बाई पुत्री फून्दीलाल पत्नी रामदेव जाति बलाई निवासी रघुनाथपुरा तहसील तालेडा ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.01.2017 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी।

वाद संख्याः 262/दावा/2000

कंवर लाल आत्मज स्वाभाविक फून्दी लाल दत्तक पुत्र श्री रामनाथ जाति बलाई निवासी जमीतपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. मृतक फून्दी लाल उर्फ फून्दा आयु 80 वर्ष आत्मज मोडू जाति बलाई निवासी ग्राम जमीतपुरा ।
   1/1. श्रीमती काली बाई विधवा श्री फून्दीलाल जाति बलाई निवासी जमीतपुरा ।
   1/2. श्रीमती मोत्या बाई पुत्री श्री फून्दीलाल जाति बलाई निवासी जमीतपुरा ।
   1/3. श्रीमती गुलाब बाई पुत्री श्री फून्दीलाल पत्नी श्री रामदेवा जाति बलाई निवासी ग्राम रघुनाथपुरा तहसील तालेडा ।
2. श्री भंवर लाल आयु 50 वर्ष आत्मज श्री फून्दीलाल उर्फ फून्दा जाति बलाई निवासी ग्राम जमीतपुरा तहसील तालेडा बहैसियत एवं स्वंय एवं बहैसियत मुकाम फून्दीलाल ।
3. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.01.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 30.11.2018 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री अरविन्द प्रकाश शर्मा एवं अपील रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री रमेश जैन के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट अवधि बाधित होने से खारिज की जाती है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 30.11.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

30.11.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/106

1. कंवर लाल आत्मज स्वाभाविक फून्दी लाल दत्तक पुत्र श्री रामनाथ जाति बलाई निवासी जमीतपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. रामनारायण आत्मज कंवर लाल जाति बलाई निवासी जमीतपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती मोत्या बाई पुत्री फून्दीलाल पत्नी प्रभूलाल जाति बलाई निवासी ठीकरिया तहसील तालेडा ।
2. श्रीमती गुलाब बाई पुत्री फून्दीलाल पत्नी रामदेव जाति बलाई निवासी रघुनाथपुरा तहसील तालेडा ।
3. बाबूलाल
4. हंसराज पिसरान भंवर लाल जाति बलाई निवासी जमीतपुरा तहसील तालेडा ।
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 18/564

1. बाबूलाल उम्र 48 वर्ष आत्मज स्व0 भंवर लाल जाति बलाई निवासी ग्राम जमीतपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. हंसराज आयु 42 वर्ष आत्मज स्व0 भंवर लाल जाति बलाई निवासी जमीतपुरा तहसील तालेडा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. रामनारायण आयु 50 वर्ष आत्मज स्व0 कंवरलाल जाति बलाई जाति बलाई निवासी जमीतपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
2. श्रीमती मोत्या बाई पुत्री फून्दीलाल पत्नी प्रभूलाल जाति बलाई निवासी ठीकरिया तहसील तालेडा ।
3. श्रीमती गुलाब बाई पुत्री फून्दीलाल पत्नी रामदेव जाति बलाई निवासी रघुनाथपुरा तहसील तालेडा ।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तालेडा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रमेश जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से अपील संख्या 17/106 में एवं अपील संख्या 18/564 में रेस्पोडेन्ट की ओर से ।
2. श्री अरविन्द प्रकाश शर्मा, अभिभाषक, अपील संख्या 17/106 में रेस्पोडेन्ट की ओर से एवं अपील संख्या 18/564 में अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 30.11.2018

1. अपीलान्टगण द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.01.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने तथा समान पक्षकार होने तथा एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी मृतक कंवर लाल ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिकार घोषणा, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम नेणदा तहसील तालेडा में आराजी खसरा नम्बर 187 रकबा 12 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि के बाद बन्दोबस्त खसरा नम्बर 357 रकबा 12 बीघा कायम किये गये हैं । वादग्रस्त आराजी मोडू जी खाते में थी, मोडू जी के उत्तराधिकारी रामनाथ व फून्दा जी हुए । फून्दा जी के दो पुत्र वादी कंवर लाल व प्रतिवादी भंवर लाल हुए हैं । रामनाथ जी के कोई पुत्र नहीं होने से उन्होंने जाति के रीति–रिवाज अनुसार वादी कंवर लाल को उसके बाल्यकाल में ही गोद ले लिया था और अपना पुत्र बना लिया था । वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार नन्दा जी आत्मज किशना जी थे जो वादी एवं प्रतिवादीगण कम 1 व 2 के पूर्वज थे । वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा वादी कंवरलाल का है और 1/2 हिस्सा प्रतिवादी फून्दा का है । उक्त भूमि का पक्षकारान के मध्य विधिवत रूप से विभाजन नहीं हुआ है । प्रतिवादी फून्दी लाल का देहान्त दिनांक 09.11.1997 को हो चुका है । प्रतिवादी कम 1/1 श्रीमती काली उनकी विधवा है । मोत्या बाई व गुलाब बाई पुत्रियॉ हैं एवं भंवर लाल पुत्र है जिन्हें पक्षकार बनाया गया है ।

4. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में उस पर निर्मित कुए का 1/2 हक से खातेदार होना वादी को घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि व कुए का बंटवारा किया जाकर जो कृषि भूमि व कुआ वादी के हिस्से में आवे उसे वादी के खाते अंकित किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी को जबरन ताकत के बल पर बेदखल नहीं करे वादी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करे तथा कुए से भूमि को सिंचित करने से नहीं रोके ।

5. प्रतिवादीगण ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर वादी का वादपत्र खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.01.2017 के द्वारा वादी का वाद एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम खारिज कर दिया तथा वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/5 हिस्सा माना है ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.01.2017 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील संख्या 17/106 एवं 18/564 प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.01.2017 निरस्त करने का निवेदन किया ।

8. अपील संख्या 18/564 में अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट कम पढे लिखे हैं जिनको वाद की समझ नहीं थी वाद के सम्बन्ध में अपीलान्ट को कोई नोटिस आदि तामील नहीं हुए हैं । इसलिए अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी समय पर नहीं हो सकी थी । अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय की जानकारी प्राप्त होते ही नकल हेतु दिनांक 21.07.2017 को आवेदन किया जिस पर नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील पेश करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

9. अपील अपीलान्ट संख्या 18/564 सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई एवं अपील संख्या 17/106 अन्दर मियाद दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया ।

10. अपील संख्या 17/106 में अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी नन्दा के खाते की थी जिनके पुत्र मोडूलाल थे । मोडूलाल जी के दो पुत्र रामनाथ व फून्दा हुए । रामनाथ के कोई पुत्र नहीं था तथा फून्दीलाल के दो पुत्र अपीलान्ट कंवर लाल व भंवर लाल हुए । भंवर लाल ने बिना किसी अधिकार के उक्त भूमि अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवा ली । यह कार्यवाही विधि–विरूद्ध है इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद डिक्री नहीं करने में त्रुटि की है । रामनाथ जी के कोई पुत्र नहीं होने से उन्होंने जाति के रीति रिवाज अनुसार वादी अपीलान्ट को बाल्यकाल में गोद ले लिया था तथा स्वाभाविक पिता फून्दीलाल जी व माता काली बाई ने वादी अपीलान्ट को रामनाथ जी के गोद में रख दिया था । प्रतिवादी फून्दी ने अपीलान्ट को रामनाथ का गोदपुत्र स्वीकार किया है । संक्त् 2036 से 2039 प्रदर्श– 14 पेश की है जिसमें उक्त भूमि के खातेदार कंवरलाल के पिता का नाम रामनाथ अंकित है । यह भूमि रामनाथ से कंवरलाल के खाते आयी थी । अन्य दस्तावेजात भी कंवरलाल, रामनाथ का पुत्र होने के समर्थन में पेश किये गये हैं । इनके खण्डन में प्रतिवादी के द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई थी फिर भी तनकी नम्बर 01 बिना किसी आधार के वादी अपीलान्ट के खिलाफ तय की गई है । रेस्पोडेन्ट के द्वारा जो अपील पेश की गई है वो अवधि बाधित है । अपीलान्ट की अपील में रेस्पोडेन्ट के द्वारा दिनांक 13.07.2017 को उपस्थिति दे दी गई थी परन्तु उन्होंने अपनी अपील दिनांक 04.10.2018 को पेश की है जो गंभीर रूप से अवधि बाधित है । विकल्प में यह भी निवेदन किया कि यदि कंवरलाल को रामनाथ का गोदपुत्र नहीं माना जाता है तो भी वादग्रस्त आराजी में फूंदा के पुत्र होने के नाते कंवरलाल का 1/4 हिस्सा निहित है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.01.2017 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में

आरआरडी 1983 पेज 310, आरआरडी 1990 पेज 646, आरआरडी 1993 पेज 44, आरआरडी 1998 पेज 188,, आरआरडी 1994 पेज 204 उद्धरत की ।

11. अपील संख्या 18/564 में अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादी ने गलत तथ्यों के आधार पर दावा पेश किया है । अपीलान्ट प्रतिवादी के द्वारा काउन्टर क्लेम कब्जा प्राप्त करने के लिए पेश किया गया था । वाद विचारण के दौरान फून्दीलाल का देहान्त हो जाने के कारण उनकी पत्नी काली बाई व पुत्री मोत्या बाई एवं दूसरी पुत्री गुलाबबाई को पक्षकार बनाया गया । फून्दीलाल का एकमात्र उत्तराधिकारी पुत्र भंवरलाल था । वाद विचारण के दौरान भंवर लाल का देहान्त हो जाने से उसके वारिसान बाबूलाल व हंसराज व ज्यानाबाई बेवा को पक्षकार बनाया गया है । श्रीमती ज्यानाबाई का देहान्त दिनांक 12.12.2012 को हो चुका है लेकिन उसके सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया था । प्रतिवादीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही करते हुए निर्णय पारित किया गया है । प्रतिवादी अपीलान्ट बिना पढे लिखे व्यक्ति हैं । उनका काउन्टर क्लेम त्रुटिपूर्ण रूप से खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलान्टगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जावे।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रतिवादी क्रम 1 फून्दीलाल ने इकबालिया जवाब पेश किया है एक अन्य जवाबदावा प्रतिवादीगण क्रम 1/2 एवं 1/3 व 2 के द्वारा इंकारी पेश किया गया है और इसके साथ काउन्टर क्लेम भी पेश किया गया ।

13. दस्तावेजात में सरकारी भूमि विकास बैंक की रसीद प्रदर्श– 1 से प्रदर्श– 12 संलग्न है । नकल जमाबन्दी संवत् 2019 से 2022 प्रदर्श– 13 संलग्न है जिसमें वादग्रस्त आराजी नन्दा के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2036 से 2029 प्रदर्श– 14 जिसके अनुसार कुल 02 किता की अन्य आराजी कंवरलाल पुत्र रामनाथ के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2053 से 2056 प्रदर्श– 15 संलग्न है जिसमें वादग्रस्त आराजी भंवर लाल पुत्र फूंदा के खाते में दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– 16 संलग्न है, नकल खसरा परिशोधन पत्र प्रदर्श– 17 संलग्न है जिसके अनुसार कब्जे के आधार पर नन्दा के स्थान पर भंवर लाल का नाम दर्ज किया गया है । नकल जमाबन्दी संवत् 2019 से 2022 प्रदर्श– 18 संलग्न है ।

14. बयान कंवरलाल, कालू, जमाल, ख्वाजू पेश किये गये हैं । एक अन्य शपथ पत्र सूरजमल जिस पर पीडब्ल्यू–4 अंकित है । इस गवाह ने न्यायालय में उपस्थित होकर शपथ पत्र की ताईद नहीं की है इसलिए इस शपथ पत्र को गवाह की श्रेणी में नहीं माना जा सकता ।

15. अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार निम्न तनकीयात कायम की थीं जिन पर हम संक्षिप्त में विवेचन किया जाना उचित समझते हैं :–

    1. **तनकी नं0 1 – आया वादी स्वर्गीय रामनाथ का गोदपुत्र है विकल्प में स्वाभाविक उत्तराधिकारी भी है :–** इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है । वादी रामनाथ का गोपदुत्र है अथवा नहीं इस तथ्य का निर्धारण राजस्व न्यायालय द्वारा नहीं वरन् सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है । इस क्रम में वादी सिविल न्यायालय में विधिक कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक रूप से यह तनकी वादी के विरूद्ध तय की है ।

2. **तनकी नं0 02 – आया खसरा संख्या पुराना 187 रकबा 12 बीघा वर्तमान खसरा नम्बर 357 रकबा 12 बीघा के पूर्व खातेदार नन्दा आत्मज क्रिशन बलाई साकिन जमीतपुरा थे और इस कृषि भूमि में वादी का 1/2 हक है** :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादी पर है । वादग्रस्त आराजी नन्दा पुत्र किशन बलाई के खाते में दर्ज थी । तनकी नम्बर 01 के विवेचन में उन्हें रामनाथ का गोदपुत्र नहीं माना गया है । नन्दा के पुत्र मोडू जी हुए और मोडू के दो पुत्र हैं रामनाथ एवं फूंदा हुए हैं । फूंदा के दो पुत्र हैं वादी कंवर लाल और भंवर लाल और दो पुत्रियॉ मोत्या बाई एवं गुलाब बाई जीवित हैं ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/4 हिस्सा बनता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी को 1/5 हिस्से का अधिकारी बताया गया है । चूंकि तत्समय फूंदी लाल की पत्नी काली बाई जीवित थी और अपील में अपीलान्ट ने अवगत करवाया है कि काली बाई की मृत्यु हो चुकी है । तद्नुसार वादग्रस्त आराजी में वादी 1/4 प्राप्त करने का अधिकारी है । इस प्रकार यह तनकी आंशिक रूप से वादी के पक्ष में तथ्य की जाती है ।

3. **तनकी नं0 03 – आया वाद विषयक कृषि भूमि पर शामलाती में कुआ खुदवाया है व बोरिंग करवाया है व खर्चा आधा वादी ने व आधा प्रतिवादी ने किया है** :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था । वादग्रस्त आराजीं संयुक्त खाते की है और तनकी नम्बर 2 में यह विनिश्चय किया जा चुका है कि वादी का इसमे 1/4 हिस्सा बनता है तद्नुसार इस तनकी के आधार पर वादी के तय हिस्से में किसी प्रकार का प्रतिवर्तन नहीं किया जा सकता ।

4. **तनकी नं0 04, 05 – आया वाद विषयक कृषि भूमि पर कुआ व बोरिंगप्रतिवादी भंवर लाल ने खुदवाया व करवाया है व खर्चा भी भंवरलाल ने वहन किया है** –· 05 आया प्रतिवादी भंवर लाल ने खसरा नम्बर 357 रकबा 12 बीघा का दक्षिणी ओर का 06 बीघा क्षेत्रफल वादी को सन् 1985 में से जुवारे पर काश्त करने को दिया था जिसे वापस संभलाने का वादी ने इंकार कर दिया है – तनकी नम्बर 4 लगायत 05 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था परन्तु प्रतिवादीगण ने अपने पक्ष के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है तद्नुसार यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादी तय की जाती है ।

5. **तनकी नं0 06 – काउन्टर क्लेम अवधि बाधित है** :– इस्र तनकी को साबित करने का भार वादी पर है । अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से इस का भार प्रतिवादी पर होना अंकित किया है । तनकी नम्बर 04 व 5 प्रतिवादी के खिलाफ तय की गई है । आराजी संयुक्त खाते की है जिस पर किसी भी सहखातेदार का प्रतिकूल कब्जा नहीं होता है । इस कारण यह तनकी विरूद्ध प्रतिवादी वहक वादी के पक्ष में तय पायी जाती है ।

6. **तनकी नं0 07 – अनुतोष** :– उपरोक्त विवचेन के आधार पर वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/4 हिस्सा बनता है अधीनस्थ न्यायालय ने उनका 1/5 हिस्सा तय किया है जिसमें संशोधन अपेक्षित है । जहॉ तक काउन्टर क्लेम का प्रशन है वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाते की भूमि है जिसमें वादी का 1/4 हिस्सा निहित है । प्रतिवादी भंवर लाल ने गलत रूप से सेटलमेंट में आराजी अपने खाते में दर्ज करवा ली थी । इन तथ्यों के आधार पर काउन्टर क्लेम खारिज होने योग्य है ।

16. प्रतिवादी द्वारा जो अपील पेश की गई है वह अवधि बाधित है । वादीगण द्वारा पेश की गई अपील में प्रतिवादीगण के द्वारा दिनांक 13.07.20.17 को हीं उपस्थिति दे दी गई थी । इसके

उपरान्त उनके द्वारा अपील दिनांक 04.10.2018 को पेश की गई है जो जानकारी में आने बाद लगभग सवा साल के विलम्ब से पेश की गई है और विलम्ब का कोई सुचित कारण नहीं बताया है ।

17. इन तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट संख्या 18/564 अवधि बाधित होने से खारिज की जाती है । अपील अपीलान्ट संख्या 17/106 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । वादग्रस्त आराजी में वादी अपीलान्ट का 1/4 हिस्सा को खातेदार घोषित किया जाता है। इसी प्रकार प्रतिवादी कम 1/2 को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी कम 1/3 को 1/4 हिस्सा और हिस्सा प्रतिवादीगण कम 2/1 व 2/2 को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है तद्नुसार विभाग की प्रारम्भिक डिक्री पारित की जाती है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देशि के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मुताबिक प्राथमिक डिक्री राजस्व मण्डल के विभाजन नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार से विभाजन रिपोर्ट प्राप्त कर विभाजन रिपोट्र पर उभय पक्ष को आपत्ति करने एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 21.01.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

18. निर्णय आज दिनांक 30.11.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

30.11.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा